NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 7-11-2024

विषय सूची

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकन

भारतीय खाद्य निगम के लिए इक्विटी निवेश

RNA संपादन वहां पहुंचने का वादा करता है जहां DNA संपादन नहीं पहुंच सकता

पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESA)

धन शोधन के लिए लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक

संक्षिप्त समाचार

हॉर्न ऑफ अफ्रीका

थाडौ समुदाय (Thadou Community)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी

कैरिकॉम (कैरेबियन समुदाय)[CARICOM (Caribbean Community)]

भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए औपचारिक दावा पेश किया

ट्यूलिप (TULIP)

उत्तराखंड जीवन-यापन सुधार परियोजना

वोस्ट्रो खाता (Vostro Account)

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टूना क्लस्टर

एग्रीवोल्टिक खेती (Agrivoltaic Farming)

5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकन

सन्दर्भ

- हाल ही में केंद्र सरकार ने 'एक राज्य-एक RRB' रणनीति के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का प्रस्ताव दिया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के बारे में

- RRBs की स्थापना 1975 में पारित अध्यादेश के प्रावधानों के तहत और ग्रामीण ऋण पर नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के अनुसार की गई थी, जिसके कारण 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित हुआ।
- ये भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर संचालित भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं।
- प्रथम ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित होने वाला पहला बैंक था और सिंडिकेट बैंक प्रथम ग्रामीण बैंक RRB को प्रायोजित करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक बन गया।
- सामूहिक रूप से, इन बैंकों के पास 31 मार्च, 2024 तक 6.6 ट्रिलियन रुपये ($ 78.46 बिलियन) की जमा राशि और 4.7 ट्रिलियन रुपये का अग्रिम था।

RRBs के कार्य

- ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करना।
- मनरेगा श्रमिकों के वेतन का वितरण, पेंशन का वितरण आदि जैसे सरकारी कार्यों को पूरा करना।
- पैरा-बैंकिंग सुविधाएँ जैसे लॉकर सुविधाएँ, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि प्रदान करना।

RRBs का स्वामित्व

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की इक्विटी एक निश्चित अनुपात में हितधारकों के पास होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं:
  - ***50% संघीय सरकार के स्वामित्व में है;***
  - ***35% प्रायोजक या अनुसूचित बैंकों के पास है; और***
  - ***15% राज्य सरकारों के पास है।***

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण

- **ऐतिहासिक संदर्भ और औचित्य:** डॉ. व्यास समिति (2001) की सिफारिशों के बाद, 2004-05 में RRBs का एकीकरण शुरू हुआ। इन एकीकरणों का प्राथमिक उद्देश्य ओवरहेड व्यय को कम करना, पूंजी आधार का विस्तार करना और RRBs के तकनीकी बुनियादी ढांचे में सुधार करना रहा है।
  - शुरू में, 196 RRBs थे, लेकिन तीन चरणों के एकीकरण के माध्यम से, वित्तीय वर्ष 2020-21 तक यह संख्या घटकर 43 हो गई।
- **वर्तमान एकीकरण चरण:** राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के परामर्श से वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की गई एकीकरण योजना का उद्देश्य 'एक राज्य-एक RRB' के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

- इससे परिचालन लागत कम होने, पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने और इन बैंकों की समग्र दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है।
- इस एकीकरण में 12 राज्यों के RRBs को एकीकृत संस्थाओं में विलय करना शामिल होगा, जिसमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कई बैंक एक संस्था के तहत एकीकृत होंगे।

समेकन के लाभ

- **परिचालन दक्षता:** RRBs की संख्या कम करके, सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक लागतों को कम करना और बैंकिंग परिचालन की दक्षता में सुधार करना है, जिससे बैंक वित्तीय रूप से अधिक संधारणीय बनेंगे।
- **उन्नत पूंजी आधार:** बड़े, समेकित RRBs के पास मजबूत पूंजी आधार होगा, जिससे वे ग्रामीण समुदायों की वित्तीय आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे।
- **तकनीकी प्रगति:** समेकन से आधुनिक बैंकिंग तकनीकों को अपनाने में सुविधा होगी, जो निजी क्षेत्र के बैंकों और लघु वित्त बैंकों (SFBs) के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक हैं।
- **सरकारी निवेश पर निर्भरता में कमी:** बेहतर वित्तीय स्थिरता के साथ, RRBs सरकारी पूंजी निवेश पर कम निर्भर होंगे, जो हाल के वर्षों में काफी अधिक रहा है।
- **व्यापक पहुंच:** समेकन से RRBs को अपनी पहुंच और प्रभाव का विस्तार करने तथा ग्रामीण जनसँख्या को बेहतर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति मिलेगी।
  - इससे छोटे किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण व्यवसायों को समर्थन देने के लिए RRBs की क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में योगदान मिलेगा।

समेकन में चुनौतियाँ:

- **एकीकरण के मुद्दे:** कई बैंकों के विलय में जटिल एकीकरण प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जिसमें विभिन्न तकनीकी प्रणालियों को संरेखित करना और परिचालन प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना शामिल है।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** यह सुनिश्चित करना कि विविध ग्रामीण क्षेत्रों की ज़रूरतें एक ही समेकित इकाई द्वारा पूरी की जाएँ, चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **कर्मचारी समायोजन:** एकीकरण प्रक्रिया से कार्यबल पुनर्गठन हो सकता है, जो एक संवेदनशील मुद्दा हो सकता है।

भविष्य का दृष्टिकोण

- RRBs का एकीकरण एक रणनीतिक कदम है जिसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण बैंकिंग बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना है।
- बड़ी और अधिक कुशल संस्थाओं का निर्माण करके, सरकार को उम्मीद है कि निजी क्षेत्र के बैंकों और SFBs के मुकाबले RRBs को होने वाली प्रतिस्पर्धात्मक कमियों को दूर किया जा सकेगा।

- जैसे-जैसे एकीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, RRBs की वित्तीय सेहत और ग्रामीण समुदायों को प्रभावी ढंग से सेवा देने की उनकी क्षमता पर इसके प्रभाव की निगरानी करना महत्वपूर्ण होगा। इस पहल की सफलता सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन और निरंतर मूल्यांकन पर निर्भर करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित लाभ प्राप्त हों।

निष्कर्ष

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रस्तावित विलय उनकी वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने और ग्रामीण समुदायों की सेवा करने की उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम है।
- RRBs की संख्या को कम करके और बड़ी, अधिक कुशल संस्थाओं का निर्माण करके, सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ये बैंक भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

Source: BS

भारतीय खाद्य निगम के लिए इक्विटी निवेश

सन्दर्भ

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) में वित्त वर्ष 2024-25 में कार्यशील पूंजी के लिए 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी डालने को मंजूरी दे दी है।

भारतीय खाद्य निगम

- भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत की गई थी, जिसकी अधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपये और इक्विटी 4 करोड़ रुपये थी।
- FCI के उद्देश्य;
  - किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन संचालन।
  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूरे देश में खाद्यान्नों का वितरण।
  - **रणनीतिक खाद्यान्न भंडार:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के परिचालन और बफर स्टॉक के संतोषजनक स्तर को बनाए रखना।

FCI के समक्ष चुनौतियां

- **भंडारण संबंधी समस्याएं:** अपर्याप्त सुविधाओं के कारण बर्बादी होती है।
- **उच्च लागत:** महंगी खरीद, भंडारण और वितरण।
- **अकुशलताएँ:** आपूर्ति श्रृंखलाओं में विलंब, भ्रष्टाचार और रिसाव।
- **सीमित फसल प्राथमिकता:** चावल और गेहूं पर अत्यधिक प्राथमिकता देने से फसल विविधता प्रभावित होती है।
- **वित्तीय तनाव:** भारी सब्सिडी से राजकोषीय दबाव उत्पन्न होता है।

FCI की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति ने सिफारिश की:

- **विकेंद्रीकृत खरीद:** परिवहन लागत को कम करने और स्थानीय वितरण में सुधार करने के लिए विकेंद्रीकृत खरीद योजना को अपनाने के लिए अधिक राज्यों को प्रोत्साहित करें।
- **बुनियादी ढांचे का विकास:** खाद्यान्नों की प्रभावी खरीद और भंडारण के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे के निर्माण में राज्य सरकारों की सहायता करें।
- **भंडारण क्षमता का उपयोग:** लागत को कम करने के लिए अतिरिक्त भंडारण को किराए पर लेने से पहले FCI के स्वामित्व वाली भंडारण सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करें।
- **गोदामों का निर्माण:** भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में गोदामों के निर्माण में तेजी लाएं।
- **प्रदर्शन मूल्यांकन:** चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए विकेंद्रीकृत खरीद योजना का नियमित प्रदर्शन मूल्यांकन करें।

वेज़ एंड मीन्स एडवांस (WMA)

- इक्विटी को वेज एंड मीन्स एडवांस को इक्विटी में परिवर्तित करके डाला गया है।
- वेज एंड मीन्स एडवांस (WMA) सरकार द्वारा FCI को सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों में विसंगतियों को पूरा करने के लिए दिया गया एक अस्थायी ऋण है।

Source: PIB

RNA संपादन वहां पहुंचने का वादा करता है जहां DNA संपादन नहीं पहुंच सकता

सन्दर्भ

- जैव प्रौद्योगिकी कंपनी, वेव लाइफ साइंसेज ने अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की कमी वाले दो रोगियों पर मनुष्यों में पहली बार सफलतापूर्वक नैदानिक RNA संपादन किया।

RNA संपादन क्या है?

- कोशिकाएँ DNA में दिए गए निर्देशों का उपयोग करके मैसेंजर RNA (mRNA) को संश्लेषित करती हैं और फिर कार्यात्मक प्रोटीन बनाने के लिए mRNA से निर्देशों को 'पढ़ती' हैं।
  - प्रतिलेखन की इस प्रक्रिया के दौरान, कोशिका mRNA के अनुक्रम में गलतियाँ कर सकती है और उसके आधार पर दोषपूर्ण प्रोटीन का उत्पादन कर सकती है।
- RNA संपादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक कोशिका द्वारा संश्लेषित किए जाने के बाद लेकिन प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए इसे पढ़ने से पहले mRNA में त्रुटियों को ठीक करते हैं।
  - यह दोषपूर्ण प्रोटीन के उत्पादन को रोकने में सहायता करता है जो विकारों का कारण बन सकते हैं।

RNA पर कार्य करने वाला एडेनोसिन डीएमीनेज (ADAR)

- इस तकनीक में एडेनोसिन डेमिनेज नामक एंजाइमों का एक समूह शामिल होता है जो RNA (ADAR) पर कार्य करता है।

- ADAR एडेनोसिन को इनोसिन में बदलकर mRNA के कुछ हिस्सों को बदल देता है, जो ग्वानोसिन की तरह कार्य करता है।
    - यह परिवर्तन कोशिका को mRNA में किसी समस्या को पहचानने और उसे ठीक करने में सहायता करता है, जिससे कोशिका सामान्य प्रोटीन का उत्पादन कर पाती है।
- वैज्ञानिक ADAR को mRNA के उस विशिष्ट भाग तक निर्देशित करने के लिए गाइड RNA (gRNA) का उपयोग करते हैं जिसे संपादन की आवश्यकता होती है, जिससे सटीक सुधार सुनिश्चित होता है।

α-1 एंटीट्रिप्सिन की कमी (AATD)

- यह एक वंशानुगत विकार है, जिसमें AATD से पीड़ित रोगियों में प्रोटीन α-1 एंटीट्रिप्सिन का स्तर बढ़ जाता है और यह लीवर एवं फेफड़ों को प्रभावित करता है।
- फेफड़ों को प्रभावित करने वाले AATD से पीड़ित लोगों को वर्तमान में राहत के लिए साप्ताहिक अंतःशिरा चिकित्सा से गुजरना पड़ता है।
- जिन लोगों में AATD ने लीवर को प्रभावित किया है, उनमें लीवर प्रत्यारोपण ही एकमात्र उपचार विकल्प है।

RNA बनाम DNA संपादन

- **सुरक्षा और लचीलापन:** DNA संपादन व्यक्ति के जीनोम में स्थायी परिवर्तन करता है और कभी-कभी इससे अपरिवर्तनीय त्रुटियाँ हो सकती हैं।
    - दूसरी ओर, RNA संपादन से अस्थायी परिवर्तन होते हैं, जिससे संपादन का प्रभाव समय के साथ कम हो जाता है।
- CRISPR-Cas9 और अन्य DNA संपादन उपकरणों को काटने का कार्य करने के लिए कुछ बैक्टीरिया से प्राप्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लेकिन ये प्रोटीन कुछ मामलों में अवांछनीय प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न कर सकते हैं।
    - RNA संपादन ADAR एंजाइमों पर निर्भर करता है, जो पहले से ही मानव शरीर में होते हैं और इस प्रकार एलर्जी प्रतिक्रियाओं का कम जोखिम प्रस्तुत करते हैं।

RNA संपादन में चुनौतियाँ

- **विशिष्टता:** ADARs mRNA के लक्षित और गैर-लक्षित दोनों भागों में एडेनोसिन-इनोसिन परिवर्तन कर सकते हैं, या लक्षित भागों को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं।
    - जब ADARs रुचि के एडेनोसिन के साथ संरेखित नहीं होते हैं, तो संभावित रूप से गंभीर दुष्प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं।
- **RNA संपादन की क्षणिक प्रकृति:** यह भी इसकी ताकत है, लेकिन थेरेपी के प्रभावों को बनाए रखने के लिए व्यक्तियों को बार-बार उपचार की आवश्यकता होगी।
- gRNA-ADAR कॉम्प्लेक्स को वितरित करने के लिए वर्तमान विधियाँ लिपिड नैनोकणों का उपयोग करती हैं। इन दोनों विधियों की सीमित वहन क्षमता है, जिसका अर्थ है कि वे बड़े अणुओं को बहुत अच्छी तरह से परिवहन नहीं कर सकते हैं।

निष्कर्ष

- हालाँकि RNA संपादन अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन विश्व भर में कई कंपनियाँ विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए इन तरीकों को विकसित करने पर कार्य कर रही हैं।
- निरंतर शोध और नैदानिक परीक्षणों के साथ, RNA संपादन चिकित्सा पद्धति में जीन-संपादन टूलकिट का एक अभिन्न अंग बनने के लिए तैयार है।

Source: TH

पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESA)

सन्दर्भ

- केंद्र सरकार ने छठी मसौदा अधिसूचना जारी की, जिसमें पश्चिमी घाट के लगभग 56,825.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) के रूप में नामित किया गया, जो छह राज्यों - गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तारित है।

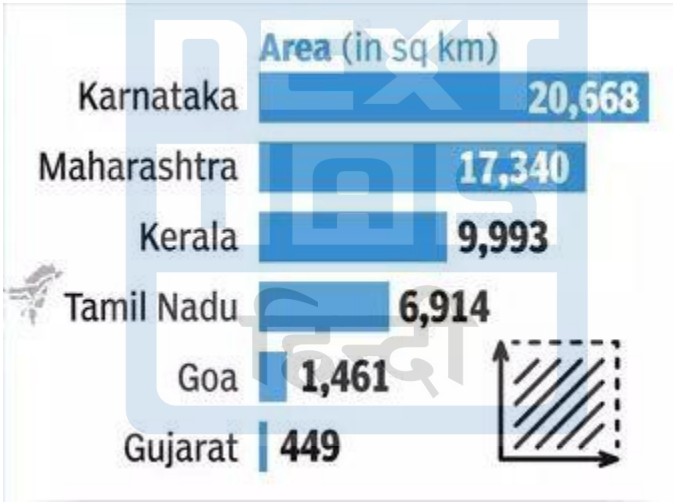

परिचय

- अधिसूचना का उद्देश्य ESA के अंदर खनन, उत्खनन और बड़े पैमाने पर निर्माण जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा करना है।
- इसने राज्यों को ESA के रूप में सीमांकित गांवों पर उनके विचार और आपत्तियां मांगने के लिए 60 दिनों का समय दिया था।

पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)

- 2002 में, यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए ताकि संरक्षित क्षेत्रों (PAs) के आसपास अधिक सुरक्षा के लिए बफर बनाया जा सके।
    - ESZ घोषित करने का उद्देश्य विशेष पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे संरक्षित क्षेत्र या अन्य प्राकृतिक स्थलों के लिए किसी प्रकार का "शॉक एब्जॉर्बर (Shock Absorber)" बनाना है।

- पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESA) में अद्वितीय जैविक संसाधन होते हैं, जिनके संरक्षण के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
    - इन क्षेत्रों में प्रायः दुर्लभ या लुप्तप्राय प्रजातियाँ, महत्वपूर्ण आवास, अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र या महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।
- राज्य सरकार के प्रस्तावों और सिफारिशों के आधार पर, मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ESZ को अधिसूचित किया।

पश्चिमी घाट को ESAs घोषित करने की आवश्यकता

- सम्पूर्ण पश्चिमी घाट हिमालय के बाद देश का दूसरा सबसे अधिक भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र है।
- पश्चिमी घाटों पर ESA कवर की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप कई पर्यावरणीय रूप से खतरनाक मानवीय गतिविधियाँ जारी रहीं, जिनमें वर्षों से खनन और निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई शामिल है, जिससे मिट्टी ढीली हो गई और पहाड़ी स्थिरता प्रभावित हुई।
- **जैव विविधता:** पश्चिमी घाट को विश्व में जैविक विविधता के 8 "सबसे गर्म हॉटस्पॉट" में से एक माना जाता है।
    - भारत के लगभग 6% क्षेत्र को कवर करने वाले पश्चिमी घाट में भारत में पाए जाने वाले सभी पौधों, मछलियों, सरीसृप-जीवों, पक्षियों और स्तनपायी प्रजातियों का 30% से अधिक हिस्सा पाया जाता है।
    - कई प्रजातियाँ स्थानिक हैं, जैसे नीलगिरि तहर (हेमिट्रैगस हाइलोक्रियस) और शेर-पूंछ वाला मैकाक (मैकाका सिलेनस)।
    - भारत के 50% उभयचर और 67% मछली प्रजातियाँ इस क्षेत्र में स्थानिक हैं।
- पश्चिमी घाट महत्वपूर्ण जल विज्ञान और जलग्रहण क्षेत्र संबंधी कार्य करते हैं।
    - प्रायद्वीपीय भारतीय राज्यों में लगभग 245 मिलियन लोग रहते हैं, जिन्हें अधिकांश जल आपूर्ति पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों से प्राप्त होती है।
- **संरक्षण:** 2012 में, पश्चिमी घाट को उनकी असाधारण जैव विविधता और पारिस्थितिक मूल्य के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था।
    - पश्चिमी घाट के कई क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में नामित किया गया है, जिनमें साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और अगस्त्यकूदम जैसे राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।

राज्य की प्रतिक्रिया

- मुख्यमंत्रियों ने तर्क दिया कि प्रस्तावित संरक्षण योजनाएँ इतनी प्रतिबंधात्मक हैं कि पश्चिमी तट के समानांतर चलने वाली पहाड़ियों में कोई भी विकास कार्य नहीं हो सकता।
- महाराष्ट्र और गोवा ने विकास कार्यों की अनुमति देने के लिए संबंधित राज्यों में ESA की सीमा में कमी की मांग की।

- कर्नाटक की तत्कालीन सरकार ने 2022 में केंद्र से मसौदा वापस लेने का आग्रह किया, जिसमें तर्क दिया गया कि इससे राज्य के लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- अवैध खनन लॉबी और पर्यटन उद्योग ने अधिसूचना में देरी के लिए सरकार पर दबाव डाला।

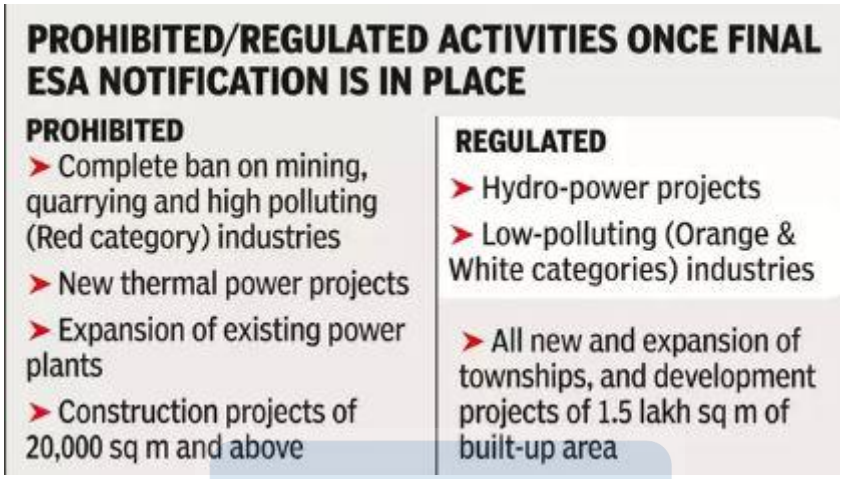

पश्चिमी घाट पर समितियों की सिफारिशें

- **गाडगिल रिपोर्ट (2011)**
  - पूरे पश्चिमी घाट को ESA घोषित करने की सिफारिश की गई।
  - पूरे क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने पर बल दिया गया।
  - **क्षेत्र का तीन-स्तरीय वर्गीकरण:** इसने संरक्षण व्यवस्थाओं की तीन श्रेणियाँ बनाईं और उन गतिविधियों को सूचीबद्ध किया जिन्हें पारिस्थितिक समृद्धि और भूमि उपयोग के स्तर के आधार पर प्रत्येक में अनुमति दी जाएगी।
  - वन अधिकारों और स्थायी आजीविका पर बल दिया गया।
  - रिपोर्ट में संरक्षण प्रयासों की निगरानी और उन्हें लागू करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर पश्चिमी घाट पारिस्थितिक प्राधिकरण (WGEA) के निर्माण की सिफारिश की गई।
  - पर्यावरणविदों ने इसका समर्थन किया, लेकिन राज्य सरकारों और उद्योगों ने इसका कठोरता से विरोध किया।
- **कस्तूरीरंगन रिपोर्ट (उच्च स्तरीय कार्य समूह रिपोर्ट, 2013)**
  - क्षेत्र के केवल 37% हिस्से को ESA घोषित करने की सिफारिश की गई।
  - अन्य क्षेत्रों में अधिक लचीलेपन की अनुमति देते हुए पहचाने गए संवेदनशील क्षेत्रों में विकास को विनियमित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - विकास संतुलन और आर्थिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया।
  - सतत आजीविका के महत्व को पहचाना गया, लेकिन वन अधिकारों पर कम बल दिया गया।
  - पर्यावरण मंजूरी के वर्तमान ढांचे को मजबूत करने और अत्याधुनिक निगरानी एजेंसी की स्थापना के लिए तर्क दिया गया।

- राज्य सरकारों और उद्योगों ने इसे अधिक संतुलित पाया, हालांकि कुछ पर्यावरणविदों को लगा कि यह बहुत अधिक उदार है।

निष्कर्ष

- पश्चिमी घाटों में प्राकृतिक परिदृश्य के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में भी लोग रहते हैं।
- पश्चिमी घाटों के लिए केवल एक बाड़बंद जंगल क्षेत्र के रूप में योजना बनाना संभव नहीं है।
  - भारत जैसे सघन जनसँख्या वाले देश के प्राकृतिक परिदृश्य और कई अन्य देशों के जंगल क्षेत्रों के बीच यही अंतर है।
- नीति निर्माताओं को एक अच्छा संतुलन बनाना होगा और ऐसे विकास को बढ़ावा देना होगा जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिदृश्यों में सतत हो।

Source: IE

धन शोधन के लिए लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक

सन्दर्भ

- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकारी कर्तव्य निर्वहन के दौरान धन शोधन के आरोप में आरोपी लोक सेवकों के विरुद्ध मुकदमा चलाने से पहले पूर्व अनुमति ली जाएगी।

पृष्ठभूमि

- उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका को खारिज कर दिया, जिसने दो IAS अधिकारियों के खिलाफ एजेंसी की शिकायत पर संज्ञान आदेश को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी थी।
- इस निर्णय ने PMLA मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197 (1) के आवेदन को मजबूत किया। धारा 197 (1) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना किसी लोक सेवक के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
  - यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के अनुरूप है।

धन शोधन क्या है?

- धन शोधन एक अवैध प्रक्रिया है जिसमें आपराधिक गतिविधियों जैसे कि ड्रग तस्करी या आतंकवादी वित्तपोषण से उत्पन्न बड़ी मात्रा में धन को वैध स्रोत से आया हुआ दिखाया जाता है।
  - आतंकवाद के वित्तपोषण में धन का उपयोग हथियार तथा गोला-बारूद खरीदने और हिंसक चरमपंथी संगठन के कैडरों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है।
- आपराधिक गतिविधि से प्राप्त धन को गंदा माना जाता है और इस प्रक्रिया में इसे साफ-सुथरा दिखाने के लिए इसका "शोधन" किया जाता है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002

- इसे भारत की संसद द्वारा 2002 में संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

- PMLAऔर इसके तहत अधिसूचित नियम 2005 से प्रभावी हुए और 2009 एवं 2012 में इसमें संशोधन किया गया।
- **प्रावधान:**
  - PMLA की धारा 3 में धन शोधन के अपराध को अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश प्रसतुत गया है।
  - **निर्धारित दायित्व:** PMLA बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों के लिए अपने सभी ग्राहकों की पहचान के रिकॉर्ड के सत्यापन और रखरखाव के लिए दायित्व निर्धारित करता है।
  - **अधिकारियों का सशक्तिकरण:** PMLA प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन के अपराध से जुड़े मामलों में जांच करने और धन शोधन में शामिल संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है।
  - **विशेष न्यायालय:** इसमें PMLA के तहत दंडनीय अपराधों की सुनवाई के लिए एक या एक से अधिक सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में नामित करने की परिकल्पना की गई है।
  - **केंद्र सरकार के लिए समझौता:** यह केंद्र सरकार को PMLA के प्रावधानों को लागू करने के लिए भारत के बाहर किसी भी देश की सरकार के साथ समझौता करने की अनुमति देता है।

निष्कर्ष

- PMLA अभियोजनों पर धारा 197(1) लागू करके, न्यायालय ने लोक सेवकों के मनमाने या राजनीतिक रूप से प्रेरित अभियोजनों के विरुद्ध एक जांच बनाई।
- इसने PMLA की धारा 65 पर बल दिया, जो PMLA प्रक्रियाओं पर CrPC को लागू करता है, जब तक कि PMLA के प्रावधानों के साथ असंगत न हो।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका

सन्दर्भ

- संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में 65 मिलियन से अधिक लोग खाद्य असुरक्षित हैं।

अफ्रीका के हॉर्न के बारे में

- **अवस्थिति:** यह उत्तर पूर्वी अफ्रीका के सींगनुमा भाग में आने वाला एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें चार देश शामिल हैं - इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया।

- इसके अतिरिक्त व्यापक परिभाषाएँ भी हैं, जिनमें से सबसे सामान्य में ऊपर वर्णित सभी देश, साथ ही केन्या, सूडान और युगांडा के कुछ हिस्से या पूरे देश शामिल हैं।
- अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र के एक हिस्से को सोमाली प्रायद्वीप के रूप में भी जाना जाता है; इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः सोमालिया और पूर्वी इथियोपिया की भूमि का उल्लेख करते समय किया जाता है।

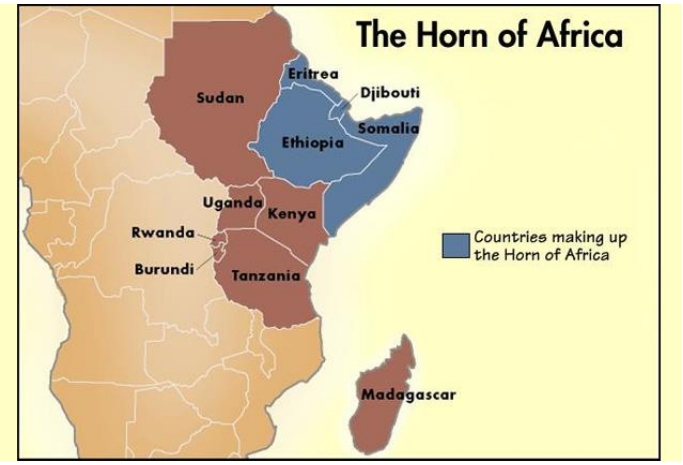

- **भूगोल और जलवायु:** भूमध्य रेखा और कर्क रेखा से लगभग समान दूरी पर स्थित हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका एक शुष्क क्षेत्र है।
  - सोकोत्रा हिंद महासागर में सोमालिया के तट से दूर एक छोटा सा द्वीप है, जिसे अफ्रीका का हिस्सा माना जाता है।
  - अफ्रीका का हॉर्न यूनेस्को जैव विविधता हॉटस्पॉट है।
- **भू-राजनीतिक और सामरिक महत्व:** यह लाल सागर की दक्षिणी सीमा पर स्थित है; अदन की खाड़ी, गार्डाफुई चैनल और हिंद महासागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है, यह अरब प्रायद्वीप के साथ एक समुद्री सीमा भी साझा करता है।
  - ये भौगोलिक तथ्य हॉर्न को क्षेत्रीय और वैश्विक अभिनेताओं के लिए एक रणनीतिक स्थान के रूप में दर्शाते हैं।

Source: AIR

थाडौ समुदाय (Thadou Community)

सन्दर्भ

- थाडौ समुदाय ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू करने के कदम में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को समर्थन दिया है।

परिचय

- थाडौस मणिपुर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी गैर-नागा जनजातियों में से एक है।
- 1881 में भारत की पहली जनगणना से लेकर 2011 की नवीनतम जनगणना तक यह लगातार मणिपुर की सबसे बड़ी जनजाति रही है।
- **भाषा:** थाडौ भाषा तिब्बती-बर्मी परिवार का हिस्सा है और इसमें कई बोली भिन्नताएँ हैं।
- **धर्म:** ऐतिहासिक रूप से, थाडौस ने एनिमिस्टिक और प्रकृति-पूजा अनुष्ठानों का पालन किया।

- आज, ईसाई धर्म समुदाय के सामाजिक और धार्मिक जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- **त्यौहार:** हुन-थाडौ सांस्कृतिक उत्सव।

Source: TH

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी

सन्दर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM विद्यालक्ष्मी को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  - राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने भारत में सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता का विस्तार करने की सिफारिश की है।

PM-विद्यालक्ष्मी योजना

- यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और देश के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों (QHEI) में प्रवेश पाने वाले छात्रों को शिक्षा ऋण के विस्तार की सुविधा प्रदान करती है।
- **लाभ:** 7.5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए, छात्र को 75% की क्रेडिट गारंटी मिलेगी, जिससे बैंक छात्रों को शिक्षा ऋण दे सकेंगे।
- इस योजना के तहत 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह योजना राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रैंकिंग द्वारा निर्धारित देश के QHEI पर लागू होगी, जिसमें सभी HEI - सरकारी और निजी शामिल हैं।
- यह प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP) योजना का पूरक होगा।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP) योजना के बारे में

- यह योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के मेधावी छात्रों को उनके उच्च शिक्षा खर्चों का समर्थन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है, जिससे उन्हें वित्तीय बाधाओं के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलती है।
- PM-USP उच्च शिक्षा में समानता को बढ़ावा देते हुए अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सहित हाशिए के समूहों के छात्रों को प्राथमिकता देता है।

Source: TH

कैरिकॉम (कैरेबियन समुदाय) [CARICOM (Caribbean Community)]

समाचार में

- भारत-कैरिकॉम संबंधों की समीक्षा के लिए हाल ही में भारत-कैरिकॉम संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक आयोजित की गई।

कैरिकॉम (CARICOM) के बारे में

- **परिचय:** कैरिकॉम एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना कैरिबियन में अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण, सहयोग और विदेश नीति के समन्वय को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- **स्थापना:** 1973 में चगुआरामास की संधि पर हस्ताक्षर के साथ।
- **सदस्य:** कैरिकॉम के 15 सदस्य देश और 5 सहयोगी सदस्य हैं, जिनमें मुख्य रूप से कैरिबियाई देश शामिल हैं, जिनमें जमैका, त्रिनिदाद और टोबैगो, बारबाडोस, बहामास और गुयाना शामिल हैं।
- **सचिवालय:** जॉर्जटाउन, गुयाना

Source: PIB

भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए औपचारिक दावा पेश किया

सन्दर्भ

- भारत ने 2036 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के भावी मेजबान आयोग को आधिकारिक रूप से 'आशय पत्र' प्रस्तुत किया है।

परिचय

- यदि भारत जीतने में सफल हो जाता है, तो वह चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के बाद इस चतुर्भुजीय आयोजन की मेजबानी करने वाला चौथा एशियाई देश बन जाएगा।
- योग, खो-खो, कबड्डी और शतरंज उन खेलों में शामिल हैं जिन्हें भारत की दावेदारी में शामिल किया जा सकता है।
- अगले वर्ष होने वाले IOC चुनावों से पहले मेज़बान पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।
- भारत को सऊदी अरब, इंडोनेशिया, चिली, कतर और तुर्की से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जो इस आयोजन की मेज़बानी के लिए स्वयं को मज़बूत दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं।
- पेरिस ने इस वर्ष ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के नवीनतम संस्करण की मेजबानी की, जबकि लॉस एंजिल्स और ब्रिस्बेन क्रमशः 2028 एवं 2032 संस्करणों की मेजबानी करने के लिए तैयार हैं।

ओलिंपिक खेल

- ओलंपिक खेल एक वैश्विक खेल आयोजन है जो प्रत्येक चार वर्ष में होता है, जिसमें प्रत्येक दो वर्ष में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेल बारी-बारी से होते हैं।
- **उत्पत्ति:** ओलंपिक खेलों की शुरुआत 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस में हुई थी, और ग्रीक देवता ज़ीउस के सम्मान में हर चार साल में ओलंपिया में आयोजित किए जाते थे।
- पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस, ग्रीस में आयोजित किया गया था।
- ओलंपिक का आदर्श वाक्य "सिटियस, अल्टियस, फ़ोर्टियस" है, जिसका लैटिन में अर्थ है "तेज़, ऊँचा, मज़बूत।"

- **ओलंपिक रिंग:** पाँच इंटरलॉकिंग रिंग, जिनमें से प्रत्येक एक महाद्वीप (अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया) का प्रतिनिधित्व करती है, खेल के माध्यम से विश्व के देशों की एकता का प्रतीक है।
- **ओलंपिक मशाल:** इस मशाल को ग्रीस के ओलंपिया में जलाया जाता है और फिर इसे मेजबान शहर में ले जाया जाता है, जहाँ से पहले इसे उद्घाटन समारोह में कड़ाह जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मशाल खेलों में निरंतरता और शांति का प्रतीक है।
  - मशाल निरंतरता और शांति का प्रतीक है जिसका प्रतिनिधित्व खेल करते हैं।

Source: TH

ट्यूलिप(TULIP)

सन्दर्भ

- केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (SJE) ने 'ट्यूलिप' (पारंपरिक कारीगरों के उत्थान आजीविका कार्यक्रम) का शुभारंभ किया।

परिचय

- ट्यूलिप ब्रांड के तहत अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), सफाई कर्मचारी और विकलांग व्यक्तियों के कारीगरों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एक ई-प्लेटफॉर्म मिलेगा।
- ट्यूलिप का लक्ष्य हाशिए पर पड़े कारीगरों को ई-मार्केटिंग के माध्यम से अपने उत्पादों की वैश्विक पहुंच और बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।

Source: PIB

उत्तराखंड जीवन-यापन सुधार परियोजना

समाचार में

- भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने उत्तराखंड जीवन-यापन सुधार परियोजना के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  - इस परियोजना का उद्देश्य हल्द्वानी और चार अन्य शहरों (चंपावत, किच्छा, कोटद्वार और विकासनगर) में सड़कों, यातायात प्रबंधन, बाढ़ प्रबंधन और जल आपूर्ति प्रणालियों को उन्नत करके बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।

एशियाई विकास बैंक (ADB) के बारे में

- **स्थापना:** 1966 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ।
- **सदस्यता:** 68 सदस्य (एशिया-प्रशांत क्षेत्र से 49, बाहर से 19)। भारत एक संस्थापक सदस्य है।
- **सहायता:** सदस्य देशों में विकास का समर्थन करने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करता है।
- **सबसे बड़े शेयरधारक (2023 तक):**

- जापान और यूएसए: 15.6% प्रत्येक
- चीन: 6.4%
- भारत: 6.3%
- ऑस्ट्रेलिया: 5.8%

- **मुख्यालय:** मनीला, फिलीपींस

Source: PIB

वोस्ट्रो खाता (Vostro Account)

समाचार में

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रुपया वास्ट्रो खातों के उपयोग का विस्तार करने पर विचार कर रहा है, जिससे संभावित रूप से उन्हें सीमा पार ऋण, पूंजी खाता लेनदेन और अनिवासी भारतीयों (NRIs) को ऋण देने में सहायता मिल सके।
  - इस कदम का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय बाजारों में रुपये की भूमिका को बढ़ाना है, जो भारत की अपनी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की उद्देश्य के साथ संरेखित है।

वोस्ट्रो खातों के बारे में

- किसी विदेशी बैंक की ओर से किसी घरेलू बैंक द्वारा खोला गया वोस्ट्रो खाता, विदेशी संस्थाओं को विदेशी मुद्रा लेनदेन निपटाने और सीमा पार भुगतान करने में सक्षम बनाता है।
- **वर्तमान स्थिति:** वर्तमान में, भारत ने 22 देशों के साथ विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों (SRVA) के लिए समझौते किए हैं, हालांकि केवल रूस, श्रीलंका और मालदीव के साथ ही व्यवस्थाएँ सक्रिय हैं।
  - इन पहलों के बावजूद, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि भारतीय निर्यातक प्रायः उतार-चढ़ाव के विरुद्ध बचाव के लिए विदेशी मुद्रा को प्राथमिकता देते हैं।
- **भविष्य का दृष्टिकोण:** RBI से उम्मीद है कि वोस्ट्रो खाते की उपयोगिता को व्यापक बनाने के लिए छह महीने के अंदर एक नया ढांचा प्रस्तुत किया जाएगा।
  - RBI विदेशी संस्थाओं को NRI उधार के लिए रुपया होल्डिंग्स का उपयोग करने की अनुमति देने के तरीकों की जांच कर रहा है, जो रुपये को वैश्विक वित्त में पूरी तरह से एकीकृत कर सकता है और भारत के आर्थिक प्रभाव का समर्थन कर सकता है।

Source: LM

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टूना क्लस्टर

समाचार में

- मत्स्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टूना क्लस्टर की स्थापना की घोषणा की है।

टूना क्लस्टर और इसके महत्व के बारे में

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मत्स्य पालन विकास के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं, जहाँ लगभग 6.0 लाख वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) है, जो कम दोहन वाले समुद्री संसाधनों, विशेष रूप से टूना और अन्य मूल्यवान प्रजातियों से समृद्ध है।
- टूना क्लस्टर से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने, आय में सुधार होने और मत्स्य पालन संचालन को सुव्यवस्थित करने की सम्भावनाहै।
    - निवेश टूना-मछली पकड़ने वाले देशों के साथ साझेदारी बनाने, हितधारकों को प्रशिक्षण देने और इस क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए लैंडिंग, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए बुनियादी ढाँचे पर ध्यान केंद्रित करेगा।

टूना के बारे में

- टूना उल्लेखनीय प्रवासी मछली हैं, जो प्रजनन के लिए मैक्सिको की खाड़ी से लेकर यूरोप तक और वापस आने जैसी लंबी दूरी तय करती हैं।
- वे एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत हैं और वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान मछलियों में से एक हैं।
- चार मुख्य प्रजातियाँ बाज़ार पर प्रभुत्वशाली हैं: स्किपजैक (वैश्विक पकड़ का आधे से अधिक), येलोफ़िन, बिगआई और अल्बाकोर।

Source: PIB

एग्रीवोल्टिक खेती (Agrivoltaic Farming)

सन्दर्भ

- नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के सातवें सत्र में एग्रीवोल्टिक खेती के व्यावहारिक कार्यान्वयन को प्रदर्शित किया गया।

एग्रीवोल्टेइक खेती के बारे में

- इसे एग्रीसोलर या दोहरे उपयोग वाला सोलर भी कहा जाता है, यह सोलर पैनलों के नीचे फसल उगाने की प्रथा है।
- पैनल जमीन से 2-3 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं और 30 डिग्री के कोण पर बैठते हैं जिसे पौधों को उनके नीचे बढ़ने देने के लिए ऊपर उठाया या निलंबित किया जा सकता है।
    - इससे फसलों तक पर्याप्त प्रकाश/छाया और वर्षा जल पहुँचता है, साथ ही कृषि मशीनरी के लिए पहुँच प्रदान करता है और कुछ फसलें ऐसे वातावरण में उगने पर अधिक फलती-फूलती दिखाई देती हैं।
- **लाभ:** यह भूमि की दक्षता को बढ़ाता है, आंशिक छाया प्रदान करके फसल की उपज बढ़ाता है, और सौर ऊर्जा से अतिरिक्त आय उत्पन्न करता है।

Source: AIR

5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर

सन्दर्भ

- दूरसंचार विभाग (DoT) के अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (C-DOT) ने 5जी ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के विकास के लिए IIT रुड़की के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर प्रौद्योगिकी (Millimeter Wave Transceiver Technology)

- यह 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति रेंज में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उपयोग को संदर्भित करता है, जो 1 मिलीमीटर (mm) और 10 mm के बीच तरंग दैर्ध्य के अनुरूप है।
- इसमें उच्च डेटा ट्रांसफर दर, उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग और सटीक संवेदन क्षमताओं का समर्थन करने की क्षमता है।
- MMW तकनीक 5G और भविष्य के 6G नेटवर्क, स्वायत्त वाहनों और उन्नत रडार प्रणालियों के विकास के लिए केंद्रीय है।
- **महत्व:** यह छोटे और मध्यम उद्योगों को भारत में अपनी विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जो इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेगा।
    - इससे सेमीकंडक्टर निर्माण उद्योगों पर निर्भरता भी कम होगी।
    - प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रस्तावित लागत इसके द्वारा बनाए जाने वाले अवसरों की तुलना में बहुत कम है।
    - परियोजना का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) उत्पन्न करने और 5G/6G के लिए उभरती मिलीमीटर तरंग/सब-THz तकनीक का समर्थन करने के लिए एक कुशल कार्यबल विकसित करने में योगदान देना है।

Source: PIB

■■■■